

2026/25

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 130 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तेलवारा बाजार

राजस्व ग्राम _____ पंचायत कगारिया मू०अ०नि०युक्त सुरासाल तहसील- सिरोही

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा मीटर	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	120	307	0.2023	धावरा पुत्र रामा भारि - गरीमिया सा. दे. खारदा	धावरा पुत्र रामा भारि - गरीमिया सा. दे. खारदा रदन रामस्थान ग्रामीण के शाखा मानपुर	
		318	2.2001	रदन - MGB मानपुर		

मुतादिक भिस्त/जमानदी संयत् 2021-22 के 79 अमावसी 2016 से 2017 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का कगारिया
मू०अ०नि० सुरासाल
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियता के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का कगारिया
मू०अ०नि० सुरासाल
राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमानदी में अमल किया जावे।

दिनांक 19/12/2021
पटवारी महोदय
तहसील कार्यालय (सिरोही)
हो मू०अ०नि०
19/12/2021 सुरासाल

हो राजस्व अधिकारी
तहसीलदार आबूरोड
जिला-सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड